संचिका सं0–7/MCH -35-30/2026-27- 181 (78)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 15/04/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 08 (आठ) नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 82,50,000/- (रूपये बेरासी लाख पचास हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनांक–30.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 08 (आठ) नर्सिंग सस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 82,50,000/- (रूपये बेरासी लाख पचास हजार) मात्र (अनुलग्नक–1 के अनुरूप) के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग स0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0029–नर्सिंग कॉलेज, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0029 अंतर्गत छात्रवृति/वजिफा (34–01) मद मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित संस्थान के अधीक्षक/प्राचार्य होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रो को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी सबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-30/2026-27 के पृष्ठ– 02/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

15.4

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-30/2026-27-..181..(7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 15/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संबंधित अधीक्षक/प्राचार्य–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.26

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक—1

विभिन्न सरकारी नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि—

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	10,31,250
2	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, एन०एम०सी०एच० पटना	10,31,250
3	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	10,31,250
4	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभगा	10,31,250
5	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा	10,31,250
6	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, सारण, छपरा	10,31,250
7	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया	10,31,250
8	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, एस०के०एम०सी०एच०, मुज०	10,31,250
	कुल—	**82,50,000**

181 (7B) 15/04/2026

(रूपये बेरासी लाख पचास हजार) मात्र

15.4.26

सरकार के अपर सचिव